

मे तर्जित वादीगण संघ 1 अ 1 के
 स्थान पर वादीगण संघ 1 अ 2
 पदा जाने का संशोधित आदेश
 जारी किया जा रहा है। संशोधित
 आदेश एक दिवस एवं दिवा-
 दिनांठिन 10/9/2024 के भाग
 रहेगा। मुद्रित संशोधित
 आदेश राज्य रेकार्ड में
 अमर परामर्श कार्यालय नएलीकर
 छोड़ के तद्विषय आदेश जारी
 होकर पत्रावली पुनः पुनः पुनः
 रेकार्ड में शामिल हो।



दिनांक 22/9/2024
 (मुनेश कुमार)

न्यायाधीश (द्वितीय) सीकर
 सहायक कलक्टर
 इविलीप (सीकर)


24/09/2024

पत्रावली वकील वादीगण
 द्वारा प्रस्तुत प्राप पत्र 0/3/114
 CPC पर पुनःसल रेकार्ड से नब
 की जाकर आज पेशा हुवा वकील वादी-
 गण ने अपने प्रार्थना पत्र के संबंध

में निवेदन किया कि मा० न्यायालय राजा द्वारा हस्त-
 ठान कादपत्र में मुताबिक राजीनामा विवादित पक्षकारान
 दिनांकित 10/09/2014 की निर्णय एवं डिप्टी पारित किया
 गया था। वादीगण द्वारा अपने कादपत्र में जानेदार
 किराना पुत्र बिड़दा जाति बल्लभ की नामोल्लाद फौरन
 होना एवं उक्त विधिगत कारिगान का प्रतिगही सं० 10
 6 के रूप में दर्ज होना अभिहित किया था किन्तु
 सहवन से राजीनामा में उक्त किराना पुत्र बिड़दा
 का नाम हजफ करने एवं वैध प्रहण अध्यापन
 रखने की इत्तदुआ छूट गई। क्रमः प्रा० पत्र मीका
 कर उक्तानुसार संशोधित निर्णय पारित करमाये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पूँछे विवादित भूमि के संबंध में विवादित पक्ष-
 कारान द्वारा राजीनामा पत्रा किया गया है। मृतक
 किराना पुत्र बिड़दा का नामोल्लाद फौरन
 होना एवं उक्त विधिगत कारिगान का प्रतिगही सं०
 10/6 के रूप में कादपत्र में पक्षकार होना सही
 है। मामला राजीनामा का है जिसमें विधिगत प्रविश
 अमल की कार्यगही में विलम्ब की रोकने के अद्यपन
 वकील वादी का प्रा० पत्र P/S 114 CPC तबीकार किया
 जाकर कादपत्र में वर्णित विवादित इमरानी में
 से मृतक जानेदार किराना पुत्र बिड़दा जाति बल्लभ
 का नाम हजफ किया जाय है तथा विवादित आ० 10
 पर वैध रहने की अध्यापन रखने हुए मूल
 निर्णय दिनांकित 10/09/2014 की पालना में अमल
 वरामद राजा-4 रेकार्ड के आदेश प्रदान किये जाते
 हैं। उक्तानुसार अमल वरामद वान्त तहसीलवा (धौद
 को तहसीर आदेश जारी हो। पत्रावली पुनः प्रेमल
 रेकार्ड में शामिल हो।



(मुनिर) कुमारी
 24/09/2014

RAJ
 सहायक क्लर्क
 इतिहास (मीकर)